परिपत्र सं. 5/5/2017-जीएसटी

फा. सं. 349/82/2017-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
जीएसटी नीति स्कंध

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ आयुक्त केंद्रीय कर (सभी)
प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/ महोदय,

विषय: निर्यात हेतु बांड/वचन-पत्र प्रस्तुत किए जाने से संबंधित मामलों पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

कृपया अधिसूचना सं. 16/2017-जीएसटी दिनांक 7 जुलाई, 2017 तथा परिपत्र सं. 2/2/2017 जीएसटी दिनांक 5 जुलाई, 2017 तथा परिपत्र सं. 4/4/2017- जीएसटी दिनांक 7 जुलाई, 2017 का संदर्भ लें। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा निर्यातकों से बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने उपर्युक्त अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों की व्याख्या में भिन्नता का हवाला दिया है।

2. अत: केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 168(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित मामलों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:

क) एलयूटी के अंतर्गत निर्यात करने हेतु पात्रता:- अधिसूचना सं. 16/2017-केंद्रीय कर दिनांक 7 जुलाई, 2017 में उन शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन्हें बांड के स्थान पर वचन-पत्र (एलयूटी) के तहत निर्यात हेतु पूरा करना होता है। मौजूदा केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रावधानों में वचन-पत्रों को केवल निर्माता निर्यातकों के लिए सीमित किया गया था। उक्त अधिसूचना का उद्देश्य वचन-पत्र की सुविधा को उदार बनाना तथा सभी प्रकार के आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस सुविधा का विस्तार करना है। एततद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में निर्यात के टर्नओवर का कम से कम 10 प्रतिशत विदेशी आवक धन-प्रेषण प्राप्त किया हो, वचन-पत्र की सुविधा उठा सकने के लिए पात्र हैं। बशर्ते विदेशी आवक धन-प्रेषण के रूप में प्राप्त की गई राशि एक करोड़ रुपए से कम न हो। इसका अभिप्राय

यह है कि केवल वही निर्यातक वचन-पत्र की सुविधा पाने हेतु पात्र हैं, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए का धन-प्रेषण या निर्यात टर्नओवर का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी राशि अधिक हो, प्राप्त किया हो। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-

(i)किसी निर्यातक का पिछले वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। वह वचन-पत्र की सुविधा तभी उठा सकेगा यदि इस निर्यात के लिए उसने जो धन-प्रेषण प्राप्त किया है, वह 1.5 करोड़ रुपए या उससे अधिक (निर्यात के टर्नओवर का 10 प्रतिशत एक करोड़ रुपए से अधिक है) हो।

(ii) किसी निर्यातक जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। वह वचन-पत्र की सुविधा तभी उठा सकेगा यदि इस निर्यात के लिए उसने जो धन-प्रेषण प्राप्त किया है, वह 1.0 करोड़ रुपए या उससे अधिक (निर्यात के टर्नओवर का 10 प्रतिशत 1 करोड़ रुपए से कम है) हो।

(iii) किसी निर्यातक के निर्यात का टर्नआवेर 5 करोड़ रुपए हैं। उसने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 80 लाख रुपए विदेशी धन-प्रेषण प्राप्त किया है, जोकि निर्यात के टर्नओवर का 40 प्रतिशत है। वह वचन-पत्र की सुविधा उठा सकने हेतु, पात्र नहीं होगा क्योंकि प्राप्त की गई धन-प्रेषण की राशि 1 करोड रुपए से कम है।

(iv) किसी निर्यातक का 40 करोड़ रुपए निर्यात टर्नओवर है। उसे वित्तीय वर्ष 2016-17 मे ंविदेशी आवक धन-प्रेषण के रूप में 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं जोकि निर्यात टर्नओवर का 5 प्रतिशत है। वह वचन-पत्र की सुविधा उठा सकने हेतु पात्र नहीं है क्योंकि प्राप्त किया गया धन-प्रेषण निर्यात टर्नओवर के 10 प्रतिशत से कम हे, हालांकि यह 1 करोड़ रुपए से अधिक है।

(v) एक निर्यातक को वित्तीय वर्ष 2016-17 में विदेशी आवक धन-प्रेषण के रूप में 1 करोड़ दस लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, जोकि निर्यात के टर्नआवेर का 20 प्रतिशत है। इस परिप्रेक्ष्य में, वह वचन-पत्र की सुविधा उठा सकता है।

तथापि यह नोट किया जाए कि स्टेट्स होल्डर, जैसा कि विदेश व्यापर नीति 2015-2020 के पैरा 3.20 तथा 3.21 मे विनिर्दिष्ट किया गया है, वचन-पत्र की सुविधा उठा सकने हेतु पात्र हैं, चाहे वह उपर्युक्त शर्तों को पूरा करता है या नहीं।

ख) वचन-पत्र हेतु फार्म : बांड गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि वचन-पत्र साधारणतया लैटर-हेड पर जमा किए जाते हैं, जिसमें उस व्यक्ति या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा सील लगी होती है, जैसा कि उक्त अधिसचूना में दिया गया है।

ग) वचन-पत्र / बांड स्वीकृति हेतु समय:- चूंकि वचन-पत्र / बांड निर्यात हेतु अग्रिम आवश्यकता है, जिसमें सेज डेवलपर या सेज यूनिट को आपूर्ति भी शामिल है, वचन-पत्र/बांड को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा निर्यातक द्वारा पूरे दस्तावेजों के साथ वचन-पत्र/बांड को जमा करने की तिथि से तीन कार्यदिवस के भीतर स्वीकृत किया जाए।

घ) विनिर्माता तथा फार्म सीटी-1 से खरीद:- यह देखा गया है कि फार्म सीटी-1, जिसे पहले मर्चेंट निर्यातक द्वारा विनिर्माता से बिना केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए वस्तुएं खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता था, के उपयोग के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी का अभाव है। जीएसटी के तहत यह स्कीम संगत नहीं है क्योंकि विनिर्माता तथा मर्चेंट निर्यातक के बीच का लेन-देन आपूर्ति की प्रकृति का है तथा इसे वचन-पत्र/बांड को जमा करने पर भी जीएसटी के तहत छूट नहीं दी गई है। अत: ऐसी आपूर्तियां जीएसटी के अधीन होगी। निर्यातों की शून्य रेटिंग, जिसमें सेज को आपूर्ति भी शामिल है, केवल वचन-पत्र/बांड के तहत वास्तविक निर्यातक द्वारा आपूर्ति या आईजीएसटी के भुगतान पर ही अनुमति होगी।

ड़) ईओयू के साथ संव्यवहार: ईओयू को की गई आपूर्ति पर जीरो रेटिंग लागू नहीं होगी तथा उनके लिए कोई विशेष छूट नहीं है। अत: ईओयू को की गई आपूर्ति पर भी जीएसटी के तहत कर लगेगा जैसा कि अन्य करयोग्य आपूर्तियों पर लगता है। ईओयू, निर्यात की सीमा तक, अन्य निर्यातकों की तरह जीरो रेटिंग के लिए पात्र है।

च) भारतीय रुपए में अग्रिम आवक धन-प्रेषण: भारतीय रुपए में आपूर्तियों के आगम की प्राप्ति, विशेष रूप से नेपाल, भूटान तथा सेज डेवलपर/सेज यूनिट को किए गए निर्यात के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आरबीआई मास्टर परिपत्र सं. 14/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के भाग 1 के पैरा क(v) (5 नवंबर, 2015 को अद्यतन) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है *"विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत तैयार की गई नियमावली, विनियमों, अधिसूचनाओं तथा निर्देशों के अनुसार भारतीय रुपए में निर्यात संविदाओं की इनवायसिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 2.52 के अनुसार, सभी निर्यात संविदाओं तथा इनवायस को या तो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपए में निरूपित किया जाएगा परंतु निर्यात के आगमों को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में ही वसूला जाएगा। हालांकि विशिष्ट निर्यातों के निर्यात आगमों को रुपयों में भी वसूला जा सकता है बशर्ते इसे एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) के किसी सदस्य देश या नेपाल या भूटान से अलग किसी देश के गैर-निवासी बैंक के स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो खाते के जरिए किया जाए।"*

तद्नुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि नेपाल या भूटान या सेज डेवलपर या सेज यूनिट को माल की आपूर्ति किए जाने हेतु बांड के स्थान पर वचन-पत्र को इस बात की परवाह किए बिना स्वीकार किया जाएगा, चाहे यह भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाए या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया जाए, जब तक कि यह आरबीआई के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए। यह भी नोट किया जाए कि सेज डेवलपर या सेज यूनिट को दी गई सेवाओं की आपूर्ति पर भी इसी प्रकार से अनुमति दी जाएगी। तथापि, नेपाल या भूटान को दी गई सेवाओं की आपूर्ति को केवल तभी सेवाओं को निर्यात माना जाएगा यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसी सेवाओं का भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।

छ) बैंक गारंटी : परिपत्र सं. 4/4/2017 दिनांक 7 जुलाई, 2017 में यह प्रावधान है कि बैंक गारंटी साधारणतया बांड के अमाउंट से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, आयुक्त प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक गारंटी देने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। यह उम्मीद की जाती हे कि यह प्रावधान उदारतापूर्वक लागू किया जाएगा। उदार स्पष्टीकरण के कुछ मामले निम्न प्रकार से हैं:-

(i) मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्द्धन परिषद में पंजीकृत कोई निर्यातक किसी मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्द्धन परिषद में अपने पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जमा करने पर बिना बैंक गारंटी के बांड जमा कर सकता है।

(ii) जीएसटी व्यवस्था में, पंजीकरण राज्यवार होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि उक्त अधिसूचना में प्रयुक्त अभिव्यक्ति'पंजीकृत व्यक्ति'का अर्थ विभिन्न पंजीकृत व्यक्ति (अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुसार विशिष्ट व्यक्तियों) हो सकता है यदि एक व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या एक से अधिक राज्य में पंजीकृत हो। ऐसा इसलिए हो सकता है कि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी पंजीकरण विशेष के संबंध में विदेशी आवक धन-प्रेषण संबंधी शर्त को एक ही पैन के साथ पंजीकृत विभिन्न व्यक्तियों के बीच आवतियों और टर्नओवर को बांटे जाने और लेखा-जोखा किए जाने के कारण पूरा न कर सके। परंतु सभी पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके पास एक स्थायी खाता संख्या है,द्वारा प्राप्त आवक विदेशी धन-प्रेषण की कुल राशि 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो सकती है तथा यह कुल निर्यात टर्नओवर का 10 प्रतिशत या उससे अधिक भी हो सकती है। ऐसे मामलों में पंजीकृत व्यक्ति बिना बैंक गारंटी के बांड जमा करवा सकता है।

ज) क्षेत्राधिकारी अधिकारी: परिपत्र सं. 2/2/2017-जीएसटी दिनांक 4 जुलाई, 2017 तथा 4/4/2017-जीएसटी दिनांक 7 जुलाई, 2017 में यह स्पष्ट किया गया है कि बांड/वचन-पत्र क्षेत्राधिकार आयुक्त /सहायक आयुक्त द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। जिनका क्षेत्राधिकार निर्यातक के व्यापार के मूल स्थान पर हो, करदाताओं को संबंधित प्राधिकरण को सौंपे जाने हेतु प्रशासनिक तंत्र के कार्यान्वित हो जाने तक निर्यातक इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह बांड/वचन-पत्र केंद्रीय कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे या राज्य कर प्राधिकरण के, यह दोबारा बताया जाता है कि केंद्रीय कर अधिकारी सभी निर्यातकों को सुविधा प्रदान करेंगे चाहे किसी निर्यातक ने पूर्व व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास पंजीकरण करवाया हो या नहीं।

झ) वचन-पत्र के लिए दस्तावेज : वचन-पत्र की शर्तों को पूरा करने के लिए साक्ष्य के तौर पर जमा कराए गए दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई सबूत न हो। स्व-प्रमाणन स्वीकार किया जाएगा जब तक कि कोई अन्यथा विशिष्ट सूचना न हो। उदाहरण के लिए, निर्यातक द्वारा इस प्रभाव हेतु स्व-घोषणा करना कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया गया है, जो कि अधिसूचना सं. 16/2017-केंद्रीय कर दिनांक 7 जुलाई, 2017 के प्रयोजन हेतु पर्याप्त होना चाहिए। यदि कोई सत्यापन हो तो

कार्योत्तर किया जा सकता है। इसी प्रकार, उक्त अधिसूचना के तहत स्टेट्स होल्डर निर्यातकों को वचन-पत्र की सुविधा दी गई है तथा स्टेट्स के प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि भी पर्याप्त होगी।

ञ)बांड/वचन-पत्र संबंधी परिपत्र की प्रयोज्यता: यह ज्ञातव्य है कि कुछ फील्ड अधिकारियों का यह अनुमान है कि उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देश केवल इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से किए गए निर्यातों पर ही प्रभावी हैं इस तथ्य के बावजूद कि उक्त परिपत्र (दिनांक 7 जुलाई, 2017) में विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि ये निर्देश निर्यातों पर 1 जुलाई, 2017 से या उसके बाद किये गये निर्यातों पर लागू होंगे।

3. यह अनुरोध है कि इस परिपत्र की सामग्री का प्रचार करने के लिए उचित ट्रेड नोटिस जारी किए जाएं।

4. उपर्युक्त निर्देशों को कार्यान्वित करने में कोई असुविधा हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(उपेंद्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)